कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 321/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक- 16.08.2026**

थाना बरदह

नौकरी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती से शारीरिक सम्बन्ध बनाने तथा नौकरी के संबंध में पूछने पर गाली-गलौज एवं जानमाल की धमकी देने वाले अभियुक्त को थाना बरदह पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 15.08.2026 को वादिनी द्वारा थाना बरदह पर लिखित सूचना दी गयी कि विपक्षी आलोक कुमार उपाध्याय द्वारा नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया तथा नौकरी के संबंध में पूछने पर गाली-गलौज करते हुए जानमाल की धमकी दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 284/2026 धारा 69, 352, 351(3) बीएनएस बनाम आलोक कुमार उपाध्याय पंजीकृत किया गया।

दिनांक 16.08.2026 को उ0नि0 संजय कुमार मय हमराह का0 योगेश दुबे द्वारा सूचना पर अभियुक्त **आलोक कुमार उपाध्याय पुत्र धर्मनारायण उपाध्याय निवासी 808 हुसैनाबाद, थाना कोतवाली, जनपद जौनपुर** को थाना बरदह से समय करीब 19:15 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:
आलोक कुमार उपाध्याय पुत्र धर्मनारायण उपाध्याय निवासी 808 हुसैनाबाद, थाना कोतवाली, जनपद जौनपुर।

पंजीकृत अभियोग:
मु0अ0सं0 284/2026 धारा 69, 352, 351(3) बीएनएस, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 संजय कुमार, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।
2. का0 योगेश दुबे, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।